न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : टीना डाबी, आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 34/2021

अपीलांट्स – *बनाम* **रेस्पोडेंट्स –**

रायमलराम पुत्र जुगताराम जाति
जाट निवासी आढतरा–धोलानाडा
तहसील गुड़ामालानी जिला
बाड़मेर

1. टीकमाराम पुत्र जुगताराम
2. घमण्डाराम पुत्र जुगताराम
3. दलाराम पुत्र जुगताराम
4. हुकमाराम पुत्र जुगताराम जाति
   जाट निवासी आढतरा–धोलानाडा
   तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर
5. तहसीलदार सिणधरी

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राज0 काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध आदेश क्रमांक 558–59 दिनांक 15.12.2010 जो संयुक्त खातेदारी की भूमि के विभाजन हेतु तहसीलदार सिणधरी द्वारा पारित किया।

उपस्थिति :–

1. श्री मोहनलाल बिश्नोई, अधिवक्ता अपीलांट की ओर से उपस्थित।
2. रेस्पोडेंट्स संख्या 1से4 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय।
3. रेस्पोडेंट सं. 5 प्रफॉर्मा पक्षकार।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राज.)

निर्णय

दिनांक : 09.10.2024

1. अपीलांट्स की ओर से यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत रेस्पोडेंट तहसीलदार सिणधरी के द्वारा कृषि भूमि के विभाजन हेतु पारित आदेश क्रमांक 558–59 दिनांक 15.12.2010 के विरूद्ध पेश की गई है।

जिला कलक्टर
बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.01.28 15:56:59 IST
Reason: SelfAttested

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि मौजा देलाणीनाडी में खेत खसरा नंबर 673, 773/674, 775/702 रकबा 98–09 बीघा एवं मौजा नेहरो की ढाणी में खेत खसरा संख्या 273/2 रकबा 65–16 बीघा भूमि के खातेदारान टीकमाराम, घमण्डाराम, रायमलराम, दलाराम पि० जुगताराम कौम जाट सा० देह खातेदारान ने दिनांक 15.12.2010 को तहसीलदार सिणधरी के समक्ष प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना–पत्र के संलग्न विभाजन नक्शा अनुसार कृषि जोतों का आपसी सहमति से विभाजन करने का निवेदन किया। पक्षकारान की पहचान हल्का पटवारी धोलानाडा द्वारा की गई एवं रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि चौसाला जमाबंदी एवं नक्शा में दशार्य अनुसार कृषि जोत का विभाजन प्रस्ताव सही है, मौके पर सहखातेदार विभाजन प्रस्ताव के अनुसार काबिज हैं। इस पर तहसीलदार सिणधरी द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट एवं पक्षकारान की सहमति के आधार प्रस्तुत विभाजन इकरारनामा स्वीकार कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किये जाने का अपीलाधीन आदेश क्रमांक आदेश क्रमांक 558–59 दिनांक 15.12.2010 पारित किया गया। अपीलांट ने उक्त विभाजन स्वीकृति आदेश के विरूद्ध यह अपील इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 21.09.2021 को प्रस्तुत की गई है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया।

3. अपीलांट की अपील में मयाद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं अपीलाधीन मूल अभिलेख मंगवाया जाकर अवलोकन किया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अपीलांट के अधिवक्ता को सुना। अपीलांट के योग्य अधिवक्ता ने प्रकट किया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सिणधरी द्वारा मौजा देलाणीनाडी में खेत खसरा नंबर 673, 773/674, 775/702 रकबा 98–09 बीघा एवं मौजा नेहरो की ढाणी में खेत खसरा संख्या 273/2 रकबा 65–16 बीघा का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53(2) के तहत अपीलाधीन विभाजन स्वीकृति आदेश पारित करने में भारी विधिक भूल की गई है। पक्षकारान की पृथक–पृथक आवासीय ढाणीयां बनी हुई है। अपीलांट ने अपनी

जिला कलक्टर
बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.01.28 15:56:59 IST
Reason: SelfAttested

सहमति से अपने कब्जे एवं काश्त के अनुसार विभाजन के लिए कागजात तैयार कराने हेतु उतरदाता संख्या 1 को अधिकृत किया गया। उतरदाता संख्या 1 ने पटवारी हल्का से सम्पर्क कर विभाजन हेतु आवश्यक कागजात तैयार कर उक्त कागजात पर अपीलांट ने हस्ताक्षर करने से पहले प्रकट किया कि भूमि की पेमाईश कर मौके पर चिन्हित की जाये ताकि प्रत्येक पक्ष की स्थिति स्पष्ट हो जाये, परन्तु उस समय बताया कि मौके की पैमाईश हेतु निरीक्षक भू–अभिलेख की उपस्थिति में नक्शा चिन्हित किया जायेगा, अभी तो विभाजन हेतु आवेदन तैयार किया जाना है। इस पर सभी उतरदातागण ने पटवारी द्वारा बताये स्थानों पर कागजात पर हस्ताक्षर निशान अंगुष्ठ किये लेकिन अपीलांट के हस्ताक्षर फर्जी रूप से करके कागजात उतरदाता संख्या 5 को हल्का पटवारी की उपस्थिति में विभाजन हेतु सौंप दिये। अपीलकर्ता व उतरदातागण के मध्य जो बंटवाडा हुआ है वह कब्जे काश्त के अनुसार नहीं हुआ है। लिहाजा अपीलाधीन आदेश एकपक्षीय एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने व मौके पर भौतिक कब्जा–काश्त अनुसार नहीं होने से अपास्त किये जाने योग्य है। लिहाजा अपीलांट की यह अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश अपास्त फरमाया जावे।

5. अपीलांट के योग्य अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि कुछ अर्सा पूर्व जब अपीलांट द्वारा जब सीमाज्ञान के कारण उठे विवाद पर अपीलाधीन आदेश की नकल मांगने पर ही उक्त विभाजन आदेश की जानकारी दिनांक 01.09.2021 को हुई। इस प्रकार प्रथम जानकारी होने की तिथि से यह अपील अन्दर मयाद प्रस्तुत की गई। उक्त अपील प्रस्तुत करने में हुए सद्भाविक विलम्ब को क्षमा करने हेतु अपील के संलग्न धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र संलग्न कर अपील अन्दर मयाद शुमार करते हुए अपीलाधीन आदेश निरस्त करने का निवेदन किया गया।

6. रेस्पोडेंट्स संख्या 1से4 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

जिला कलक्टर
बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.01.28 15:56:59 IST
Reason: SelfAttested

7. हमने अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा प्रकट तथ्यों एवं उपलब्ध अपीलाधीन अभिलेख का अवलोकन एवं मनन किया, जिससे यह पाया जाता है कि मौजा देलाणीनाडी में खेत खसरा नंबर 673, 773/674, 775/702 रकबा 98–09 बीघा एवं मौजा नेहरो की ढाणी में खेत खसरा संख्या 273/2 रकबा 65–16 बीघा भूमि के खातेदारान टीकमाराम, घमण्डाराम, रायमलराम, दलाराम पि0 जुगताराम कौम जाट सा0 देह खातेदारान ने दिनांक 15.12.2010 को तहसीलदार सिणधरी के समक्ष प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना–पत्र के संलग्न विभाजन नक्शा अनुसार कृषि जोतों का आपसी सहमति से विभाजन करने का निवेदन किया। पक्षकारान की पहचान हल्का पटवारी धोलानाडा द्वारा की गई एवं रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि चौसाला जमाबंदी एवं नक्शा में दशार्य अनुसार कृषि जोत का विभाजन प्रस्ताव सही है, मौके पर सहखातेदार विभाजन प्रस्ताव के अनुसार काबिज हैं। इस पर तहसीलदार सिणधरी द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट एवं पक्षकारान की सहमति के आधार प्रस्तुत विभाजन इकरारनामा स्वीकार कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किये जाने का अपीलाधीन आदेश क्रमांक आदेश क्रमांक 558–59 दिनांक 15.12.2010 पारित किया गया। अपीलांट ने उक्त विभाजन स्वीकृति आदेश के विरूद्ध यह अपील इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 21.09.2021 को प्रस्तुत की गई है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। अधिवक्ता अपीलांट का कथन है कि सहमति विभाजन का आवेदन को प्रस्तुत करते समय समस्त खातेदारान को पीठासीन अधिकारी के समक्ष उपस्थित होना आवश्यक है तथा सहमति विभाजन के तथ्यों से प्रार्थी सह खातेदारान को अवगत करावे कि नक्शे मे खसरा, रकबा किस खातेदार का कौनसे स्थान पर होगा परन्तु उतरदाता संख्या 5 ने विधि की इस प्रक्रिया को अनदेखा कर अपीलधीन आदेश पारित किया। उक्त विभाजन आदेश पारित करने से पूर्व इस आवेदन के तथ्यों व भौतिक कब्जे की स्थिति तथा खातेदारान की सहमति बाबत कोई पूछताछ न कर इस पर यांत्रिक रूप से अपीलाधीन आदेश पारित किया है। उक्त विभाजन मे अपीलांट को अपने हिस्से की भूमि में धोरे एवं रेतीली तथा आवागमन के लिए कोई मार्ग भी उपलब्ध नहीं होने उक्त आदेश निरस्त योग्य है। अपीलांट के मुख्य

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.01.28 15:56:59 IST
Reason: SelfAttested

कथन में प्रकट किया गया हैं कि पक्षकारान की पृथक–पृथक रहवासी ढाणीयां बनी हुई है तथा अपीलाधीन विभाजन मौका कब्जा अनुसार नहीं होने से पक्षकारान के बीच विवाद उत्पन्न हो गया है। रेस्पोडेंट्स दौरान सुनवाई अनुपस्थित रहे हैं तथा अपीलांट के अभिकथनों का कोई प्रतिरक्षण नहीं किया गया हैं। इस प्रकार अपीलाधीन आदेश के द्वारा खातेदारों के हिस्सों एवं कब्जा–काश्त के विपरीत अपीलाधीन विभाजन किया गया है। इस आधार पर अपीलाधीन विभाजन स्वीकृति आदेश दूषित होने से अपीलांट की अपील स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं।

8. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाकर रेस्पोडेंट्स तहसीलदार सिणधरी द्वारा पारित विभाजन स्वीकृति आदेश क्रमांक 558–59 दिनांक 15.12.2010 अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार गुड़ामालानी को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि मौका कब्जा एवं पक्षकारान की सहमति अनुसार राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 में यथा विहित प्रावधानों की पालना करते हुए पुनः नये सिरे से विभाजन की कार्यवाही करें।

9. निर्णय आज दिनांक 09.10.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(टीना डाबी)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.01.28 15:56:59 IST
Reason: SelfAttested